

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/22-23/02

दिनांक: 12.05.2022

सेवा में,
श्री विभाष कुमार
पुत्र स्व० शिव कुमार
नि० म०न०-3/619,
आवास विकास,
हंसपुरम नौबस्ता कानपुर नगर-208021
मो० 91515 06211

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 21.04.2022 के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 21.04.2022 क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को दिनांक 25.04.2022 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

| मांगी गई जानकारी | दी गयी जानकारी |
|--|---|
| <p>हाई-टेंशन लाइन लगाने हेतु जिसकी कोड/टावर संख्या (0217) एफ०टी०पी०-ए०जी०ए०-1 (0217) है व जिसके समीप स्थित आराजी सं० -5043, ग्राम पतारा, तहसील -घाटमपुर, कानपुर नगर में है के बाबत निम्नलिखित प्रश्न की सूचना प्राप्त करना चाहता है, सूचना प्रदान करने की कृपा करें।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यह कि आपके विभाग/कार्यालय से उपरोक्त वर्णित आराजी सं० में कौन-कौन से पेड़ों का मुआवजा बुद्धू पुत्र स्व०राम चरण व छोटेलाल पुत्र स्व० रामचरण निवासी -ग्राम पतारा, तहसील-घाटमपुर, कानपुर नगर को कितना-कितना दिया गया था ? 2. यह कि उपरोक्त पेड़ नुकसान/फसल नुकसान का मुआवजा बुद्धू व छोटेलाल को किस बैंक से जारी किया गया था ? 3. यह कि उपरोक्त पेड़ नुकसान/फसल नुकसान का मुआवजा बुद्धू व छोटेलाल को किस तारीख को अदा किया गया था ? | <p>मांगी गयी जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है, जिसे सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के धारा 8(1)(j) के अंतर्गत, किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं की जा सकती है।</p> |

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री आर० नागपाल
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,

(राणा प्रताप)
12.05.22

[राणा प्रताप]
वरि०महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
पावरग्रिड, लखनऊ